Amendment No. 4 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 5 moved by Shri B.R. Nahata to the vote of the House.

Amendment No. 5 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 6 moved by Shri Kamal Nath Jha to the vote of the House.

Amendment No. 6 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 8 moved by Shri Mool Chand Daga to the vote of the House.

Amendment No. 8 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put amendment No. 9 moved by Shri Ram Singh Yadav to the vote of the House.

Amendment No. 9 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I take up amendment moved by Shri Eduardo Faleiro.

The question is:

That in the resolution,—

(i) *omit* "by signs, words or publications"

(ii) *for* "image" *substitute* "name"

(iii) *for* "be made a cognizable offence" *substitute*—

"be taken serious note of and a Commission of Enquiry be appointed under the Commission of enquiry Act, 1952 to enquire into the acts and activities including publications and sources and misuse of funds, of the Gandhi Peace Foundation, the Gandhi Samarak Nidhi and the All India Serva Seva Sangh and other closely connected organisations and report to the Government within a period of six months."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: I put Resolution, as amended, to the vote of the House. The question is:

"This House recommends to the Government that any action to tarnish the name of Mahatma Gandhi, the Father of our Nation, be taken serious note of and a Commission of Enquiry be appointed under the Commissions of Enquiry Act, 1952 to enquire into the acts and activities including publications and sources and misuse of funds, of the Gandhi Peace Foundation, the Gandhi Samarak Nidhi and the All India Serva Seva Sangh and other closely connected organisations and report to the Government within a period of six months."

The motion was adopted.

16.50 hrs.

RESOLUTION *RE.* JOB GUARANTEE TO THE EDUCATED YOUTHS OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

MR. CHAIRMAN: Now we take up the next Resolution to be moved by Shri Ram Swaroop Ram.

The resolution reads as follows:

"Considering that even 34 years after Independence the lot of a majority of Scheduled Castes and Scheduled Tribes persons has not improved economically and socially, this House recommends to the Government to draw up plans to provide job guarantee to the educated youths of those communities within next five years."

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, मैं इस बात पर विचार करते हुए प्रस्ताव करता हूं स्वतंत्रता प्राप्ति के 34 वर्ष पश्चात् भी अनुसूचित-जातियों और अनुसूचित-जन-जातियों के अधिकांश व्यक्तियों की दशा में आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से कोई सुधार नहीं हुआ है, यह

[श्री रामस्वरूप राम]

सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह इन समुदायों के शिक्षित युवकों को आगामी 5 वर्षों में रोजगार की गारंटी दिलाने के लिए योजनाएं बनाए ।

सभापति महोदय : आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए ।

श्री रामस्वरूप राम : सभापति महोदय, यह जो संकल्प है, इस अगस्त हाउस के समक्ष है वह अपने आपमें एक महत्वपूर्ण सकल्प है । आप जानते हैं कि देश की आबादी का 50 प्रतिशत लोग बिलो पावर्टी लाइन का है । जब हम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की परिकल्पना करते हैं तो हम पाते हैं कि हिन्दुस्तान में जो हरिजन और आदिवासी हैं, वही एक ऐसा वर्ग है जो गरीब माना जाता है और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हरिजन और आदिवासी गरीब शब्द का पर्यायवाची शब्द बन गया है ।

अनेकों योजनाएं बनाई जा रही हैं सरकार की ओर से, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनकी शैक्षणिक हालत में सुधारने के लिए, लेकिन जब हम इस बात को तह पर जाकर देखते हैं तो पता लगता है कि इनकी हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । आखिर कौन सी परिस्थितियां उनको ऊपर उठाने में रुकावट बन रही हैं, जिससे अभी तक उनकी हालत में नगण्य सुधार हुआ है--सुधार की कोई . . ।

एक माननीय सदस्य : आशा भी नहीं है ।

श्री रामस्वरूप राम : नहीं आशा तो हम करते हैं--हम आशावादी हैं, हम चाहते हैं कि लोग गरीबी की रेखा के नीचे से उठकर ऊपर जाएं, लेकिन जब हम तह में देखते हैं तो कई बाधाएं नजर आती हैं।

हमारी सरकार की मंशा है, हमारे प्रधान मंत्री की मंशा है और वे मानते हैं कि जब तक हरिजन और आदिवासी की हालत में सुधार नहीं होगा तब तक हम समाजवादी समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते । हरिजन-आदिवासी की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दशा को सुधारना ही हिन्दुस्तान में असली समाज-वाद होगा और सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी की स्थापना होगी ।

ऐसे तो कई बार हमारी कांग्रेस-पार्टी ने अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रस्तावों के माध्यम से कहा कि इन्हें जमीन दी जायेगी. . . । जब भी हुआ हमने बहुत बड़े बड़े आर्थिक प्रस्ताव पास किए और हमने कहा कि हम हरिजनों को काश्त की जमीन देंगे, जोतने लायक जमीन देंगे ताकि आर्थिक दृष्टि से वे आत्म-निर्भर हो सकें । मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हरिजनों को जमीन नहीं मिली, काश्त करने लायक जमीन नहीं मिली और जो मिली भी उसको प्रतिक्रियावादी फिरकापरस्त ताक्तों ने दो वर्ष जिन का राज रहा है, उस राज में छीन लिया और हमारा जो प्रोग्राम था उस सारे प्रोग्राम को चकनाचूर कर दिया । इसको जवाबदेही बागडी जी, चौ. चरण सिंह जी, अटल जी पर और दूसरी प्रतिक्रियावादी और फिरकापरस्त ताक्तों पर है ।

आदिवासी और हरिजनों के वास्ते जो आयोग गठित किया गया था और उसकी जो सिफारिशें आईं और जो सरकार के यहां कार्यान्वयन के लिए लम्बित पडी हुई है उस में उसने कहा है.---

> 1971 में अनुसूचित जातियों के कुल 2 करोड 90 लाख कामगरों में से 1 करोड 50 लाख (51.8 प्रतिशत) खेतिहर मजदूर और 80 लाख (27.9) काश्तकार थे । अनुमान है अनुसूचित जाति के अधिकांश काश्तकार. . . . . (51 प्रतिशत सीमांत काश्तकार थे, जो 2.5 एकड से भी कम जोतों के स्वामी थे । लगभग 20 लाख एकड अतिरिक्त भूमि घोषित की गई थी । मुश्किल से ऐसी 25 प्रतिशत भूमि ही वितरित की गई । इस तरह वितरित भूमि का मुश्किल से एक तिहाई भाग ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को हिस्से में आया । इस दिशा में धीमी प्रगति का कारण भूमि अधिकतम सीमा अधिनियमों का असन्तोषजनक ढग से लागू करना बताया जाता है ।

हमारी एवं सरकार की मंशा यह थी कि गंगोत्री का पानी हरिजनों और आदिवासियों की झोंपड़ी तक भी जाए लेकिन वह वहां तक पहुंच नहीं सका । क्यों नहीं पहुंच सका, यह अनन्त कथा है, एवर लास्टिंग स्टोरी है । हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि हरिजनों और आदिवासियों को जमीन देंगे । लेकिन प्रतिक्रियावादी और फिरकापरस्त ताकतें जिनकी वकालत करने वाले हमारे विपक्ष के लोग भी हैं, उनकी जमीन को उनसे छीन भी लेते हैं और यही कारण है कि जमीन के मामले को लेकर हजारों हरिजनों की जानें गई हैं, बेलछी का काण्ड हुआ है, धर्मपुरा का हुआ, पथर-हट्टा की घटना घटी है । ऐसी बहुत सी घटनाएं बिहार में घटी हैं जिनमें जहां हमारी सरकार ने जमीन दी थी। प्रतिक्रियावादी ताकतों ने जब वे 1977 में सत्ता में आई थी और उनकी सरकार बनी थी और जिन के आने से देहातों में एक भावना फैलाई गई थी और हरिजन और आदिवासी भाई डर गए थे और कहने लग गए थे कि "इन्दिरा जी अब नहीं हैं और हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं है और उनसे इन जमीनों को छीन लिया गया ।" जात-पात करने वालों का हौसला तब बढ़ा था और उन्होंने उनसे जमीनें छीनने की कोशिश की । एक समय ऐसा भी आन्दोलन चला था कि बड़े-बड़े भूपतियों की जमीनों को उनसे छीना जाय । लेकिन हमारी जमीनें छीन ली गई । सोशलिस्ट पार्टी जिसमें डा. राम मनोहर लोहिया जी के लोग थे उन्होंने भूमि हड़प आन्दोलन चलाया था और कहा था कि बड़े बड़े भूपतियों की जमीनें छीनेंगे । लेकिन 1977-78 में हमारी जमीनें छीन ली गई थी, कांग्रेस की सरकार ने जिन हरिजनों को जमीन दी थी उसे हड़प लिया था और अपने आप को ये समाजवादी कहते हैं ।

बीस सूत्री कार्यक्रम देश में चल रहा है और उस पर एक्शन हो रहा है . . .

श्री मनी राम डागड़ी (हिसार) : डा. लोहिया का नाम इन्होंने लिया है । उनको मत कहिये । उनके चेलों का कोई कसूर नहीं है । श्री मोरारजी देसाई उनके चेले नहीं थे ।

श्री राम स्वरूप राम : मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो जमीनें अर्जित की गई हैं सीलिंग नियम के अधीन या अधिकतम सीमा कानून के अन्दर उन पर उन गरीबों का दखल दिलाने का अभियान चलाये, उनकी बासजीत के पर्चे दें । ऐसा आप कर रहे हैं यह खुशी की बात है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं हरिजन और आदिवासी के बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं उसका एक मुख्य कारण यही है कि वे अशिक्षित हैं, हम झोंपडी में रहते हैं, और हमारे बच्चों को शिक्षा के अभाव में मालूम नहीं होता कि उनके लिये सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाये हैं । इसलिए शिक्षा होनी चाहिये । जब तक आप हरिजन बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा ।

17.00 hrs.

मैं एक खेतिहर मजदूर का लडका हूं, हम आप लोगों की कृपा से पढ़ लिख गये इसलिए श्रीमती इन्दिरा जी की नीतियों को समझने के काबिल हुए । तो शिक्षा का बहुत बडा महत्व है । इसलिए जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तब तक आप उनके लिये चाहे जमीन दें या और कुछ करें उनकी हालत अच्छी नहीं होगी ।

1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम चला नवादा में उस दौरान मैंने 5 आदमियों को चुना, उनको किसी तरह से नौकरी दिला दी और कुछ को 2 बीघे जमीन दी गई । दो वर्ष के बाद जब जा कर देखा यह पता लगाने गया तो देखा जमीन की क्या हालत है तो पाया कि उनकी जमीन छीन ली गई और अगर नहीं छिनी तो आर्थिक विपन्नता के कारण उस जमीन को वह कल्टीवेट नहीं कर पाये । लेकिन जिनको नौकरी दी गई थी उनका थोडा सा इकोनामिक ऐलीवेशन हुआ । लेकिन जमीन वालों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ ।

सभापति महोदय : आपके प्रस्ताव में जॉब गारन्टी देने की बात है उस पर कहिये ।

श्री राम स्वरूप राम : उसी पर आ रहा हूं । जो भूमिका बांध रहा हूं । आप देखते

[श्री राम स्वरूप राम]

होंगे हरिजनों के पढ़ने के लिए बहुत सी सुविधायें सरकार दे रही है । . . .

सभापति महोदय : भूमिका को 5 मिनट हो गये, अब आप रिजोल्यूशन पर बोलिये ।

श्री राम स्वरूप राम : हरिजन बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी गई, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पढ़ पाते । कारण यह है कि जिस समय हरिजन, आदिवासी का बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो 7 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसको मजबूरन पढ़ना छोड़ना पड़ता है और अपने माता पिता के कार्य में हाथ बटाना पड़ता है जिसके लिए उसको किसी के यहां बॉन्डेड लेबर के रूप में काम करना पड़ता है । मा, बाप भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा आर्थिक उपार्जन करने लगा है, पढ़ कर क्या करेगा । इसलिए आर्थिक विपन्नता के कारण शिक्षा मन्दिर से उस बच्चे को नाता तोड़ना पड़ता है और अपने मां बाप के साथ खेत में काम करना पड़ता है ।

मैंने एक चिट्ठी लिखी थी चौधरी चरण सिंह को कि आप फूड फार वर्क क्यों चलाते हो ? "फूड फार एजूकेशन फार हरिजन और आदिवासी" के लिए चलाइये तो ज्यादा श्रेयकर होगा । जब एक बच्चा हरिजन का स्कूल में जाता है तो पाठशाला के गुरुजी जब उसको एक किलो गेहूं दे देते हैं तो उसके चारों बच्चे-पढ़ने के लिए जायेंगे, उसको एक तरह से इंसेंटिव मिलेगा । लेकिन इन लोगों ने सारा पैसा वर्क फार फूड में लगा दिया और देश का सारा पैसा बर्बाद कर दिया । इसलिए इस कार्यक्रम को बन्द कर के हमारी सरकार ने राष्ट्रीय नियोजन को चलाया है ।

सभापति महोदय, 1979 में एक स्टार्ड क्वैश्चन के जवाब में बताया गया था कि देश में कितने हरिजन और आदिवासी बच्चे बिलो मैट्रिकुलेट, मैट्रिकुलेट इंटरमीडिएट्स और एम. ए. पास हैं । आपने जो आदिवासियों को 14 परसेंट रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन उनकी स्थिति क्या है यह देख लीजिए । बिलोमैट्रिक की संख्या है 8 लाख 55 हजार 100 शिड्यूल्ड कास्ट्स की और आदिवासियों की है 2 लाख 11 हजार । इसी तरह से मैट्रिकुलेट हरिजनों की 3 लाख 11 हजार 300 और आदिवासियों की 56 हजार । हायर सैकेन्डरी इन्क्लूडिंग इंटरमीडिएट हरिजनों को है 38 हजार 300 और आदिवासियों को है 24 हजार 200 । ग्रेजुएट्स की 63 हजार 800 है और पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या 4 हजार 900 है और आदिवासियों की 800 है । एक तरफ रिजर्वेशन के प्वाइन्ट पर आप कह रहे हैं कि 14 परसेंट रिजर्वेशन कर दिया है ।

जब हम पब्लिक सैक्टर में देखते हैं तो वहां तो यह कुछ माना भी जाता है कि रिजर्वेशन की नीति है लेकिन अगर प्राईवेट सैक्टर में देखें चाहे टाटा, बिरला की फर्म हो या किन्हीं बड़े-बड़े उद्योगपतियों की फर्म हो वहां तो रिजर्वेशन का नाम भी नहीं है । आप यहां कुछ भी कहें, उससे कुछ नहीं बनता । और कहीं बोझा उठाने वाला हो, या पाखाना साफ करने वाला हो तो वह तो मेहतर हो जायेगा, उसके लिये क्या रिजर्वेशन की बात है । लेकिन वहां मैनेजीरियल और एस्टैब्लिशमेंट के वर्क में उसको टोटल इग्नोरेंस है । कहीं रिजर्वेशन नहीं है ।

मैं यह कहना चाहता था कि जब इस देश का 4 हजार 900 एम. ए. पास हरिजन बच्चा बेकार है और 63,800 ग्रेजुएट हरिजन बच्चे बेकार हैं तो होता क्या है कि जितने बी.ए. और एम.ए और मैट्रिक हरिजन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनको खेती भी आपने दिया नहीं, नतीजा यह हुआ कि वह बच्चा लेबरर की जिन्दगी बिता रहा है ।

मैं अपनी कांस्टीट्यूएन्सी की बात करता हूं, किसी भी गांव में चले जाइये, बी.ए., एम. ए., मैट्रिक पास लड़के अपने अनपढ़ बाप के साथ हल जोतने में लगे हुए हैं । अगर रिजर्वेशन की सारी व्यवस्था

पूरी होती तो यह हालत नहीं होती । नतीजा यह होता कि इस अन-एम्पलायमेंट का असर दूसरे हरिजन बच्चों पर भी पड़ रहा है । उसके बगल का गार्जियन कहता है कि जब बी. ए. पास लड़का हमारे साथ हल जोतता है तो तुम स्कूल क्यों जा रहे हो पढ़ने के लिए ?

नतीजा यह हो रहा है कि हरिजनों और आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार जिस गति से होना चाहिये था, उस गति से नहीं हो रहा है ।

सभापति जी, आप भी अपने गांव और कस्बों में जाते होंगे तो देखते होंगे कि बी. ए. पास हरिजन के बच्चे गांव में खेतों में काम कर रहे हैं । बड़े-बड़े भूपतियों के यहां काम कर रहे हैं । उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और वह कैजूअल लेबरर की तरह काम कर रहे हैं । हम यह कहना चाहते हैं कि अन-एम्पलायमेंट की वजह से उनकी शिक्षा में भी ह्रास हुआ है ।

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिशनर की रिपोर्ट में लिखा है कि यद्यपि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के दाखिले के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है । प्राथमिक स्तर पर के० जी० से लेकर पहली, दूसरे दर्जे में तो कुछ प्रगति हुई है लेकिन देखने में यह आया है कि मिडिल और सैकेन्डरी आंकड़ों में भारी गिरावट आई है । लेकिन इन जातियों में विशेषत: अनुसूचित जन जाति के लोगों में काफी शिक्षा बेकार हो जाती है । बेकारी का जो कारण बताया वह यह है कि आयुक्त की 1970–71 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि इस विषय पर विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सुधारात्मक उपाय बरतने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में शिक्षा की इस छीजन को रोका जा सके । इस संबंध में आदिवासी अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद द्वारा गुजरात के आठ आदिवासी जिलों में हाल ही में किये गये एक अध्ययन से पता चला था कि आदिवासी बच्चे जब तक चौथी कक्षा में पहुंचते हैं, उनमें शिक्षा की छीजन और रुद्धता की दर 79.7 प्रतिशत तक पहुंच जाती है ।

सभापति महोदय : आपके 12 मिनट हो गये है, 3 मिनट और बोल लीजिये ।

श्री राम स्वरूप राम : मुझे अभी बहुत कुछ कहना है हुजूर । 5 मिनट में फार्म काम नहीं चलेगा । अगर आज समय नहीं दिया जा सके तो कल बोलने दीजिये ।

PROF. M. G. RANGA (Guntur) He is the power of the resolution, Sir. Please allow him 20 or 25 minutes.

MR. CHAIRMAN : Let him continue.

श्री राम स्वरूप राम : उसकी एजूकेशन में जो इरोजन हो रहा है, उसको रोकने के लिये. हर जगह पर यह कैसे [illegible] तहसील लेबल पर या प्रखंड लेबल पर 15 सौ कैपेसिटी का एक-एक रैजीडैंशल स्कूल विध होस्टरल बना दीजिये जहां उसको फ्री एजूकेशन हो, फ्री लाजिंग हो और सारी चीजें मिले । उसकी शिक्षा को आप अपने हाथ में रखिये, राज्य सरकार को वह मत दीजिये । मेरा कहना है कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले और उसकी देखरेख में शिक्षा हो तो मैं समझता हूं कि इससे कुछ सुसंस्कृत मानव पैदा कर सकेंगे । क्योंकि जब तक इनको ऊपर नहीं उठा सकेंगे, तब तक आप दुनिया की दौड़ में आगे नहीं आ सकते हैं ।

[श्री रामस्वरूप राम]

हम भी आपके अंग हैं। अगर आपका एक अंग कमजोर रहेगा तो उसका असर सारे शरीर पर पड़ेगा, यह मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं। हरिजनों के लिये मैंने अपनी मेहनत से एक डाटा कलैक्ट किया है बिहार के बारे में। आप उससे अन्दाजा लगा सकते हैं कि रिजर्वेशन का क्या हाल वहां है। इसमें दो राय नहीं कि सुधार हुआ है, लेकिन नगण्य है।

टोटल नम्बर आफ एम्पलाईज बिहार में 4 लाख है जिसमे किरानी, बाबू, अफसर सब हैं। टोटल नंबर आफ रिजर्ब्स सीट फार शिड्यू कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स 24 परसैंट होती है तो 4 लाख में हमको 96 हजार रिजर्व्ड सीट्स मिलनी चाहिये थी लेकिन टोटल नम्बर आफ रिजर्व्ड सीट्स फिल्ड सिर्फ 5 परसैंट है यानी 20,000 हुई। अभी भी टोटल नंबर आफ बैकेन्ट रिजर्ब्स सीट्स फार शिड्यूल्ड कास्ट्रस एंड ट्राइब्स 76 हजार है जो कि अनफिल्ड हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि चपरासी, बाबू और अफसर की इनमें कितनी हैं लेकिन यह कह रहा हूं कि यह 76,000 अनफिल्ड है। यह बिहार का डाटा मैं दे रहा हूं।

अगर हमारे 76,000 आदमियों को एम्पलायमेंट मिला होता तो 76 यूनिट डैवलपमेंट में आ जाता, आर्थिक एलीवेशन हो जाता। लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसके न होने से 1971 से 1980 के 10 बरस में हमको कहां कितना घाटा हुआ है वह 7 अरब 5 करोड़ 50 लाख का है।

अगर यह रिजर्वेशन भर जाता, हमारी सरकार टोटो रिजर्वेशन से गाइड होती, पालिसी जो बनती, उसमें सारी चीजें होती तो आज हरिजन आदिवासियों के उत्थान में 7 अरब 5 करोड़ 50 लाख रुपया लगता। नतीजा यह हुआ कि रिजर्वेशन न देने से हमने इस स्टेट को अकेले हरिजन और आदिवासियों को शिक्षित होने और नौकरी न देने के कारण जो रैवेन्यू फोरगो किया वह 7 अरब 5 करोड़ 50 लाख है। यह एक स्टेट का डाटा है। अगर हम सारी स्टेटस के डैटा को देखें, तो पता चलेगा कि स्थिति कितनी खराब है। अगर पूरे देश में रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया होता, तो हरिजन-आदिवासियों का उत्थान हो जाता। हम देखते है कि हमारी आरक्षण की नीति में हर जगह बिखराव आया है। प्राईवेट सैक्टर हो या पब्लिक सैक्टर, हर जगह कहा जाता है कि एलिजिबल कैंडीडेटस नहीं हैं, यहां तक कि चपरासी के पद पर भी उनकी बहाली नहीं पाती है। अभी हाल में फर्टेलाइजर कार्पोरेशन के अंतर्गत दुर्गापुर में चपरासियों के आठ स्थान हरिजन-आदिवासियों के लिए सुरक्षित रखे गए थे। सुनते है कि कोई कुकरेजा साहब वहां गए और उन्होंने कहा कि इन पोस्ट्स को जेनरलाइज कर दो, इनको रिजर्व न रखो। यह बहुत अफ़सोस की बात है। क्या हममें अभी तक चपरासी के पद पर काम करने की योग्यता भी नहीं आई है? वहां पर बहुत से हरिजन पहले से काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बारे में अधिकारियों के स्तर पर बहुत डिसआनेस्टी हो रही है सरकार की मंशा है कि हम रिजर्वेशन को बहुत तेजी के

साथ लागू करें, लेकिन कहीं न कहीं डिस-आनेस्टी तो है। अगर इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया जायेगा, तो हम इन वर्गों को कैसे ऊपर उठा सकेंगे ?

सरकार जो ज़मीन बांटना चाहती है, वह बांटे, लेकिन वह एक काम करे, जिस पर हमारा अधिकार है, कि वह हरिजन-आदिवासियों के लिए जाब गारंटी की व्यवस्था करे। मैं समझता हूं कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी और कोई वर्ग नाखुश नहीं होगा। सभी को इसे स्पोर्ट करना चाहिए। हाउस आज यह संकल्प करे कि मिडल पास से ले कर एम० ए० पास तक हरिजन-आदिवासियों के जो बच्चे बेकार हैं, एक कलम से एक कालबद्ध योजना बना कर उनके लिए जाब गारंटी कर दी जाए। आखिर सरकार कितनी जमीन बांट सकेगी ? सरकार हरिजन-आदिवासियों को जमीन देगी और श्री मनीराम बागड़ी के आदमी या श्री अटल बिहारी बाजपेयी के आदमी जा कर उसको छीन लेंगे सरकार हम लोगों की हत्या क्यों कराना चाहती है ? (**व्यवधान**) आज जमीन का झंझट हर जगह है। हरिजनों और आदिवासियों पर एट्रासिटीज के बढ़ने का मेन कारण जमीन का झगड़ा है। सरकार उन्हें प्रोटेक्शन नही दे सकती। थानेदार और एस डी ओ दूसरे लोगों के साथ मिल जाते हैं। सरकार की मंशा साफ है, वह उन लोगों को जमीन देना चाहती है और उन्हें ऊपर उठाना चाहती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि जमीन के साथ उनकी जान भी चली जाती है।

हरिजन-आदिवासियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार के अधिकार-क्षेत्र में है। उसके लिए कोई सीलिंग एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इससे पवित्र कार्य और कोई नहीं हो सकता है। सरकार को इस बारे में मुस्तैदी दिखानी चाहिए। जो सिंचाई की योजनाएं बन रही हैं, उनका लाभ बड़े-बड़े किसानों को हो रहा है। बिजली की योजनाओं का लाभ बड़े-बड़े किसानों और इंडस्ट्रीज को पहुंचता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह बेरोजगार हरिजन-आदिवासियों के लिए नौकरी की गारंटी की व्यवस्था करे।

इन वर्गों की शिक्षा में बहुत इरोजन हो रहा है, बहुत कमी हो रही है। उनमें शिक्षा के प्रसार के लिए तहसील लैवल पर और प्रखंड लैवल पर हाई स्कूल की स्थापना की जाए, ताकि वे लोग पढ़ सकें और समझ सकें कि उनके हितों की रक्षा हो रही है।

पिछली सरकार ने फूड फ़ार वर्क की योजना चलाई थी, जिसकी मैंने इसी आगस्ट हाउस में लूट फ़ार वर्क कहा था। उसी तरह सरकार को शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों के लिए फूड फ़ार एजूकेशन की योजना चलानी चाहिए। आज उनकी जो मानसिकता है, उसको देखते हुए जब तक फूड फ़ार एजूकेशन की योजना नहीं चलाई जाएगी, तब तक उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें दस रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो बिल्कुल अपर्याप्त है। वे ढिबरी की रोशनी में पढ़ते हैं। इतना पढ़ने के बावजूद भी वह बेकार बैठता है, चाहे उसने एम० ए० पास किया हो या मध्यम शिक्षा पाई हो, लेकिन उनको कहा जाता है कि तुम मेरे साथ आकर खेत में काम करो। इस तरह से 79.7 प्रतिशत शिक्षा में छीज्जन हो रही है। मैं इस माननीय सदस्य से और सरकार से अनुरोध करूंगा ... (**व्यवधान**) ...

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर): मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि यह फूड-फार एजुकेशन क्या होता है ?

श्री राम स्वरूप राम : फूड फार-एजूकेशन से मेरा मतलब यह है कि जैसे आपने काम के बदले अनाज की योजना चलाई थी, पिछली सरकार ने ... (**व्यवधान**) ...

सभापति महोदय : राम स्वरूप जी इस बारे में आप लॉबी में बात कर लीजिएगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा): सभापति जी, बात तो सदन में उठी है।

श्री राम स्वरूप राम पढ़ने के बदले अनाज, आदिवासी और हरिजनों के बच्चों के लिए सुविधा। जैसे कि एक परिवार में हरिजन के चार बच्चे हैं और वह बेचारा दो-चार रु० छात्रवृत्ति लेता है।

श्री अजित कुमार साहा: चार बच्चे तो हो नहीं सकते है, आज कल तो दो बच्चे होते है।...(**व्यवधान**)...

श्री राम स्वरूप राम: आप समझ गए होंगे, आप खुद समझदार है। मैंने जो तीन सुझाव दिए है---पहला जॉब गारन्टी, सातवीं से एम० ए० तक कालबद्ध योजना बना कर पांच वर्ष मे नौकरी की व्यवस्था निश्चित रूप से करे। दूसरा है, शिक्षा को प्रखंड लैवल से ले कर सारे देश में एक हाई-स्कूल बनाया जाए। वहां पर फ्री-फूड और सब तरह की सुविधा दी जाए और तीसरे उनके बच्चों को इंसैंटिव देने के लिए फूड-फार-एजुकेशन चलावे, ताकि हरिजन के बच्चों को शिक्षा दी जा सके।

इन शब्दों के साथ अपनी लोकप्रिय सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करे।

MR. CHAIRMAN There are some amendments. Mr. Daga is not present, So, his amendment is not moved. Shri Ram Singh Yadav is not present. So, his amendment is not moved. Shri Kunwar Ram is not present. So, his amendment is not moved.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): माननीय सभापति जी, मैं इस माननीय सदन में श्री राम स्वरूप राम जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। लेकिन अभी बहस के बाद सरकार की तरफ से दबाव पड़ेगा, श्री राम स्वरूप जी जरा इधर ध्यान दीजिए, तो वे प्रस्ताव वापिस ले लेंगे और प्रस्ताव के पास करने के लिए दबाव नहीं डालेंगे कि प्रस्ताव पास किया जाए। ऐसी स्थिति मे इनकी मंशा सचमुच इस प्रस्ताव के पक्ष मे है या नहीं है, इस पर मुझे संदेह है। यह केवल एक प्रकार का राजनीतिक वातावरण पैदा करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। अगर वास्तव मे इनकी मंशा है तो किसी भी प्रकार का दबाव इनके ऊपर क्यों न पड़े, इन्हे इस प्रस्ताव को वापिस नहीं लेना चाहिए। यदि वे ऐसा करते है, तो हम सब लोग इनका पूरा समर्थन करेंगे क्योंकि इन्होंने बड़े व्यापक पैमाने पर इसकी चर्चा की है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों की स्थिति, आज की सरकार मे, केवल हरिजनों की ही नही, सभी प्रकार के कमजोर वर्गों की, चाहे वे हरिजन हों, आदिवासी हों, अल्प-संख्यक हों, या दूसरे वर्ग के लोग हों---सभी की स्थिति प्रति दिन बिगड़ती चली जा रही है। और किसी के जीवन में कोई सुरक्षा

नहीं रह गई है, तब फिर उन को रोजगार क्या मिलेगा ? माननीय कानून मंत्री जी हंस रहे हैं, लेकिन मैं सच्ची बात कह रहा हूं, इस लिये आप को इस पर ध्यान देना चाहिये। उन को रोजगार की क्या सुरक्षा मिलेगी, क्या गारंटी मिलेगी, जब कि उन का जीवन ही सुरक्षित नहीं है। जब से यह सरकार सत्ता में आई, कितने हरिजनों की हत्यायें हुई। आप को मालूम होगा।

सवाल यह है कि आज हमारे देश के सामने बेरोजगारी की भीषण समस्या है जिस से हमारे देश के सभी लोग ग्रस्त हैं। जहां तक कमजोर वर्गों का संबंध है उन के ऊपर इस बरोजगारी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, यही कारण है कि हरिजन, आदिवासी तथा अन्य जो कमजोर वर्गों के लोग हैं उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। सरकार को उन की इस समस्या के समाधान के लिये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये, लेकिन दुख यह है कि यह सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है।

प्रस्तावक महोदय ने एक सवाल जमीन के वितरण और उन की सुरक्षा का उठाया था। मैं कहूंगा--हमारे उत्तर प्रदेश में जब आप की सरकार बनी, उस के कुछ दिन बाद कुफल्टा मे 16 हरिजन जिन्दा जला दिये गये, क्या उन की सुरक्षा हुई--आप जरा अपनी सरकार से पूछिये। पिपरा और बढ़इया काण्ड हुए, दर्जनों हरिजनों को मारा गया--मैं समझता हूं आप को इस की भी जानकारी होगी। मान्यवर, इन के बिहार में सासाराम एक जगह है वहां पर कितने हरिजनों को मारा गया है--यह तो सिर्फ एक-डेढ़ महीने पहले की घटना है, आप को सब अच्छी तरह से मालूम है।...

सभापति महोदय : यहां पर जाब-गारंटी की बात है।

श्री हरिकेश बहादुर : पहले जीवन की गारन्टी तो दें, उस के बाद उन को रोजगार दें।

सभापति महोदय : उस के लिए आप रेजोल्यूशन मूव कीजिये।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं एक संशोधित प्रस्ताव के रूप में यह बात कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपने भाषण में कई बातों का जिक्र किया है। मध्य प्रदेश में हरिजनों के साथ क्या हुआ--कितने मारे गये ? जगह-जगह उन की कोई सुरक्षा नहीं है। जो सरकार उन को जीवन की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती वह सरकार उन को जाब की गारन्टी देगी, इस पर तो सभी को संदेह होना स्वाभाविक है और हमें भी पूरा संदेह है। हरिजनों को सीलिंग के बाद बची हुई जमीन का वितरण यदि ठीक ढंग से हुआ होता तो उस से हरिजनों की बेकारी दूर हो गई होती, लेकिन उस का वितरण सही ढंग से नहीं हुआ। आज भी तमाम गावा मे ऐसा जमान निकला हुइ ह, लेकिन उस का वितरण नहीं हो रहा है। इस लिये मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह अपने सभी जिला अधिकारियों को राज्य सरकारों के माध्यम से निर्देश दे कि जहां कहीं भी सीलिंग के बाद बची हुई जमीन है उस का तुरन्त वितरण करायें। आज बहुत से भूमिपति इस सरकार में बैठे हुए हैं उन के पास हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन उन्होंने अपने तमाम कुत्ते, बिल्लियों के नाम से बटवारा कर दिया है और वह आज भी उन्हीं के कब्जे में चली आ रही है। क्या यह सरकार अपने अन्दर बैठे हुए ऐसे लोगों की जमीनों की जांच करायेगी और उस जमीन का वितरण करायेगी ताकि उन

[श्री हरिकेश बहादुर]

तमाम हरिजनों को जो बेकार हैं, तमाम आदिवासियों को जो बेरोजगार हैं—उन्हें वह जमीन दी जा सके ताकि उन की बेरोजगारी दूर हो। मैं मांग करूंगा कि वह पहले अपने अन्दर आंतरिक विश्लेषण करे और देखे कि इस प्रकार की स्थिति में कितने लोग हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप के नीति-निदेशक लोगों की परिधि में भी ऐसे लोग आते हैं। इस लिये यदि सचमुच में सरकार को बेरोजगारी दूर करनी है तो सब से पहले उन भूमिचोरों को, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, देखना पड़ेगा। यदि सही तरीके से भूमि का वितरण हुआ तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से हरिजनों तथा आदिवासियों की परेशानियां दूर होंगी।

आज आदिवासियों की क्या स्थिति है? आंध्र में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर उन लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिस में 30-35 आदिवासी मारे गये। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में है—60 मारे गये लेकिन इस सरकार की रिपोर्ट में 20 आदिवासियों के मरने की बात कही गई है।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue next time. Now, we take up Half-an-Hour Discussion.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, आज 5-6 किसान यहां पर नारे लगा रहे थे और उन को पकड़ लिया गया है। वे बेचारे दुखी हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि उनके वोट पर ही हम यहां चुन कर आए हैं और यहां बैठे हुए हैं।

MR. CHAIRMAN: We will be making an announcement on that.

17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

REVIEW OF HISTORY AND LANGUAGE TEXT-BOOKS.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): Mr. Chairman, Sir, as I was saying it is neither good, nor pleasant to make any reference to the previous government, the regime of the Janata Party Government. One does not really enjoy it. But whilst we are discussing on this question, on the reply given to the Starred question in regard to the communal bias in the text-books, we cannot escape the reference to what had happened a few years ago. These were the years, the time during which all communal organisations—the R.S.S., the Jamait Islami, the Christian communal organisations—had a great time. It is very important to note that whatever might have been their private views, in public they never clashed with each other. They even supported each other. The Muslim communalists and other communalists, in public, were all together and that was really very peculiar and a very unfortunate thing.

Now, Sir, I would right away say on this point that I will not be proposing here that there should be a bias of any sort in education. Therefore, I would say that I am not propounding bias of any other sort. As far as College and University education is concerned, practically there are no text-books as such but only recommended books and I would urge upon the Government to make all such books available to the students so that they can have a broad approach and broad understanding on different aspects because they are mature enough to understand various aspects. Now, coming to school text-books, that is,